

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, VAISHALI AT
HAJIPUR
Civil Misc. 82 of 2025

Raj Kumar Singh

..... Applicant

Versus

Chinta Devi & other

.....O.P.

22.05.2026

आवेदक अनुपस्थित है। वाद पुकारा गया। विद्वान अधिवक्ता बार-बार पुकार पर अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक-24.07.2025 प्रतिवेदित त्रुटी के निवारण हेतु लंबित चला आ रहा है। स्पष्ट निर्देश के बावजूद त्रुटी निवारण करने में आवेदक असफल रहे। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदक का वाद में अभिरुची नहीं रह गई है। यथा वाद अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

हर्षित सिंह)

प्रधान जिला न्यायाधीश